

19/12/25-

पत्रावली में वकील प्रार्थी उपस्थित होकर
प्रार्थना पत्र वास्तु राजस्व आवेदन जरिये
विज्ञा खार्जित करने का पेश किया गया।
शामिल पत्रावली है। प्रार्थना पत्र जरिये
वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि उक्त
प्रकरण में वर्णित खसरा के विवाद के
संबंध में पट्टाकारों के बीच सामाजिक
स्तर पर समझौता से राजीनामा ले गया
इसलिए राजस्व आवेदन आगे चलाना नहीं
चाहते राजस्व आवेदन जरिये विज्ञा खार्जित
करावे।

एमने अधिवक्ता प्रार्थी को सुना। उस्तुत प्रा.
पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया।
प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उस्तुत प्रा. पत्र जरिये
राजस्व आवेदन विज्ञा का स्वीकार किया जाकर
राजस्व आवेदन इसी स्तर से जरिये विज्ञा खार्जित
किया जाता है पत्रावली फेल्ल गुमारे होकर
शामिल इफतर ही एवम नंबर से कम हो।

Shri A. R. R. R.
C. R. R. R. R. R.

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) चौहटन